डाक पंजीयन क्रमांक-म.प्र./भोपाल/357/2018-20

मुद्रित पत्र रजि. नं./आर.एन./13063/1967

मध्यप्रदेश सहकारी समाचार

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ भोपाल का प्रकाशन

Website : www.mpscu.in
E-mail : rajyasanghbpl@yahoo.co.in

हिन्दी/पाक्षिक

● वर्ष 62 ● अंक 1 ● भोपाल ● 1-15 जून, 2018 ● पृष्ठ 8 ● एक प्रति 7 रु. ● वार्षिक शुल्क 150/– ● आजीवन शुल्क 1500/–

चना, मसूर और सरसों की खरीदी 9 जून तक जारी रहेगी : श्री चौहान

मुख्यमंत्री ने की समर्थन मूल्य पर खरीदी की विस्तृत समीक्षा

भोपाल। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि समर्थन मूल्य पर चना, मसूर और सरसों की खरीदी 9 जून तक की जायेगी। आवश्यकता होने पर इसके बाद भी जारी रखी जायेगी। उन्होंने निर्देश दिये हैं कि किसानों के लिये मंडी में सभी आवश्यक प्रबंध किये जायें। मुख्यमंत्री ने गेहूँ उपार्जन की अंतिम तिथि को भी आवश्यकता–नुसार बढ़ाने के निर्देश दिये। श्री चौहान मंत्रालय में समर्थन मूल्य पर उपार्जन की समीक्षा कर रहे थे।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि मंडी में किसानों की सहभागिता के साथ व्यवस्थाओं का संचालन किया जाये। किसानों के साथ आत्मीय व्यवहार करें। मंडी संचालन में व्यवस्थाएं किसान हितैषी हों। चाय–पान, छाछ और छांव के बेहतर प्रबंध हों। प्रतीक्षा का समय कम से कम हो। तौल कांटों, छन्नों की संख्या बढ़ाने और परिसर को भी विस्तारित किया जाये। उन्होंने किसानों को फसल की शत–प्रतिशत खरीदी के प्रति आश्वस्त किया। श्री चौहान ने एसएमएस और टोकन जारी करने की व्यवस्थाओं को और अधिक प्रभावी बनाने के निर्देश दिये।

श्री चौहान ने अधिकारियों से कहा कि खरीदी कार्य पर निरंतर निगरानी रखें। समस्या की प्राथमिक सूचना स्थानीय स्तर पर तत्काल प्राप्त हो, इसकी मानीटरिंग भी करें। समस्याओं का त्वरित समाधान हो। उन्होंने बारदानों की उपलब्धता, परिवहन, भंडारण एवं भुगतान व्यवस्थाओं की समीक्षा की। श्री चौहान ने लहसुन के लिये दी जाने वाली राशि किसानों के बैंक खातों में जमा करवाने के कार्य की प्रगति की जानकारी भी प्राप्त की।

बैठक में मुख्य सचिव श्री बी. पी. सिंह, महानिदेशक पुलिस आर. के. शुक्ला, संबंधित विभागों के प्रमुख सचिव, संभागायुक्त, महानिरीक्षक पुलिस उपस्थित थे।

उपार्जन केन्द्रों पर पर किसानों की सुविधाओं का ध्यान रखा जाये : राज्यमंत्री श्री सारंग

भोपाल। सहकारिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री विश्वास सारंग विभागीय समीक्षा में निर्देश दिये कि उपार्जन केन्द्रों पर किसानों की सुविधाओं का पर्याप्त ध्यान रखा जायें। उपार्जन के साथ–साथ परिवहन की बेहतर व्यवस्था भी सुनिश्चित करें। किसानों द्वारा समर्थन मूल्य पर बेची गई फसल का भुगतान समय पर हो। किसानों को उपार्जन केन्द्रों पर किसी भी प्रकार की कठिनाई नहीं होना चाहिए। बैठक में प्रमुख सचिव सहकारिता श्री के. सी. गुप्ता, एवं आयुक्त सहकारिता श्री केदार शर्मा, एमडी अपेक्स बैंक श्री आर. के. शर्मा सहित सहकारिता विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।

ऋण समाधान योजना की अंतिम तिथी 15 जून

भोपाल। ऋणों के निपटारे के लिए मुख्यमंत्री ऋण समाधान योजना चल रही है। किसान आगामी 15 जून तक अपने बकाया ऋण के मूलधन की 50 प्रतिशत राशि जमा कर इस योजना का लाभ ले सकेंगे। इस योजना का लाभ लेने के लिए कृषक द्वारा मूलधन की 50 प्रतिशत राशि को 15 जून तक एक मुश्त अथवा किश्तों में जमा कराना होगा।

सहकारिता विभाग में एनसीडीसी प्रकोष्ठ का गठन होगा

भोपाल। सहकारिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री विश्वास सारंग ने कहा है कि सहकारिता विभाग में एन.सी.डी.सी. प्रकोष्ठ का गठन किया जायेगा। यह प्रकोष्ठ राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से प्रदेश की सहकारी संस्थाओं के विभिन्न प्रोजेक्टस को क्रियाशील बनाने के लिये समन्वय का कार्य करेगा। श्री सारंग एन.सी.डी.सी. और सहकारिता विभाग द्वारा ''प्रदेश में सहकारिता के समन्वित विकास'' विषयक कार्यशाला को सम्बोधित कर रहे थे। कार्यशाला में एम.डी. एन.सी.डी.सी. श्री संदीप नायक, आयुक्त सहकारिता श्री केदार शर्मा, एम.डी. मार्कफेड श्रीमती स्वाति मीना और सहकारिता विभाग के अधिकारी मौजूद थे।

राज्य मंत्री श्री सारंग ने कहा कि झाबुआ में "कड़कनाथ मुर्गा" पालन की सहकारी समितियों की तर्ज पर अन्य ग्राम पंचायतों को भी स्थानीय उत्पाद और उसकी मार्केटिंग की संभावनाओं के आधार पर सोसायटी बना कर व्यवसाय से जोड़ा जायेगा। उन्होंने कहा कि रायसेन जिले में टमाटर और धार जिले में प्याज के संग्रहण, भण्डारण तथा प्रोसेसिंग से जुड़ी सहकारी समितियों का गठन किया जाएगा। इन उत्पादों की मार्केटिंग के लिये बड़ी कम्पिनियों से एम ओ यू किया जायेगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश के महानगरों में पार्किंग क्षेत्र में सहकारी समितियों का गठन करवाया जायेगा।

श्री सारंग ने कहा कि सभी क्षेत्रों में हर आदमी को सहकारिता से जोड़ कर विकास के नये आयाम स्थापित किये जाएंगे। उन्होंने बताया कि जेल से सजा पूरी कर रिहा हुए बन्दियों के पुनर्वास के लिये सहकारी समिति गठित कर उन्हें रोजगार से जोड़ने का नवाचार सफल प्रयास साबित हुआ है।

सायबर सुरक्षा पर कार्यशालाओं का आयोजन

सहकारिता के क्षैत्र में कम्प्यूटर, इंटरनेट व मोबाईल के बढ़ते उपयोग को ध्यान में रखते हुए म. प्र. राज्य सहकारी संघ मर्या., भोपाल द्वारा सायबर काईम व उससे सुरक्षा उपाय तथा कानूनी पहलू पर कार्यशालाओं का आयोजन प्रदेश स्तर पर किया जा रहा है। इसी कड़ी में सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र, इन्दौर के कम्प्यूटर प्रशिक्षक श्री शिरीष पुरोहित द्वारा, कार्यालय उपायुक्त सहकारिता, रतलाम, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्या. मंदसौर, कार्यालय उपायुक्त सहकारिता मंदसौर, इन्दौर प्रीमीयर कोऑपरेटिव बैंक लि. इन्दौर तथा क्लाथ मार्केट बैंक लि., इन्दौर में आयोजित कर प्रशिक्षण दिया गया।

रतलाम

म. प्र. राज्य सहकारी संघ मर्या., भोपाल द्वारा सायबर क्राईम व उससे सुरक्षा उपाय तथा कानूनी पहलू पर कार्यशालाओं का आयोजन प्रदेश स्तर पर किया जा रहा है। इसी कड़ी में दिनांक 7 मई 2018 को उपायुक्त सहकारिता, रतलाम कार्यालय में कार्यशाला का आयोजन किया गया। जिसमें उपायुक्त श्री परमानंदजी गोडरिया तथा अधिकारियों ने भाग लिया। दिनांक 12 मई 2018 को जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक, रतलाम मुख्यालय में कार्यशाला का आयोजन किया गया। जिसमें बैंक के अध्यक्ष श्री अशोक जैन चौटाला, श्री शैलेश खरे उपयंत्री सहित बैंक अधिकारियों व कर्मचारियों ने भाग लिया।

मंदसौर

दिनांक 15 मई 2018 को जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्या. मंदसौर मुख्यालय में कार्यशाला का आयोजन किया गया। जिसमें बैंक के वरिष्ठ महाप्रबंधक श्री एस. के. भारद्वाज, श्री गोपाल सोपरा सहित बैंक अधिकारियों व कर्मचारियों ने भाग लिया। दिनांक 16 मई 2018 को उपायुक्त सहकारिता मंदसौर कार्यालय में भी कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसमें उपायुक्त श्री ओ. पी. गुप्ता के मार्गदर्शन में अधिकारियो ने भाग लिया। कार्यशाला में सायबर अपराध के प्रकार व तरीके के बारे में जानकारी दी गयी तथा इससे सुरक्षा के उपायो के प्रति जागरूक किया गया। भारतीय सूचना प्रोघोगिकी कानून 2000 के प्रावधानों की जानकारी भी प्रदान की गई। सभी ने कार्यक्रम को वर्तमान समय के अनुसार बहुत उपयोगी बताया। प्रशिक्षण संबंधी पाठ्यसामग्री भी वितरित की गई। कार्यक्रम को सफल बनाने में जिला सहकारी संघ रतलाम के प्रबंधक श्री अनिरूद्व शर्मा तथा मंदसौर प्रबंधक श्री मनीष सोनावां का योगदान सराहनीय रहा।

इन्दौर

दिनांक 26 अप्रेल 2018 को क्लाथ मार्केट बैंक लि., इन्दौर मुख्यालय में कार्यशाला का आयोजन किया गया। जिसमें बैंक अध्यक्ष श्री हंसराज जैन व संचालक श्री जगदीश गुप्ता सहित 42 बैंक अधिकारियों व कर्मचारियों ने भाग लिया। दिनांक 28 अप्रेल 2018 को इन्दौर प्रीमीयर कोऑपरेटिव बैंक लि. मुख्यालय में कार्यशाला का आयोजन किया गया। जिसमें बैंक के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री आलोक जैन, नोड्ल अधिकारी सीबीएस श्री अनिल बावनिया सहित 53 बैंक अधिकारियों व कर्मचारियों ने भाग लिया। कार्यक्रम में बैंक सम्बन्धी होने वाले सायबर क्राईम तथा सुरक्षा उपायो के प्रति जागरूक किया गया व सूचना प्रोघोगिकी कानून के प्रावधानो की जानकारी प्रदान की गई। सभी ने कार्यक्रम को वर्तमान समय के अनुसार बहुत उपयोगी बताया। प्रशिक्षण संबंधी पाठ्यसामग्री भी वितरित की गई।

लहसुन विक्रय की अवधि बढ़ाई गई 30 जून तक

भोपाल। प्रदेश की अधिसूचित मण्डियों में लहसुन विक्रय की अवधि 31 मई से बढ़ाकर 30 जून, 2018 कर दी गई है। चिन्हित मण्डियों की सूची में मंदसौर जिले की गरोठ मण्डी को भी शामिल किया गया है। इस संबंध में उद्यानिकी एवं खाद्य प्र–संस्करण विभाग ने आदेश जारी किये हैं।

लहसुन की भावांतर लाभ गणना की अंतिम तिथि 10 अप्रैल से बढ़ाकर 31 मई, 2018 निर्धारित है। यह फैसला किसानों के हितों को ध्यान में रखकर लिया गया है। इस संबंध में कमिश्नर इंदौर, भोपाल, उज्जैन, ग्वालियर, सागर, जबलपुर, रीवा संभाग के साथ जिला कलेक्टर भोपाल, सीहोर, रायसेन, राजगढ़, इंदौर, धार, झाबुआ, उज्जैन, देवास, मंदसौर, नीमच, रतलाम, शाजापुर, आगर–मालवा, गुना, शिवपुरी, सागर, छतरपुर, जबलपुर, छिन्दवाड़ा, रीवा और सतना को आवश्यक निर्देश जारी किये गये हैं।

निपाह : राज्य शासन द्वारा एडवाइजरी जारी

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को भेजी गई गाईड लाइन

भोपाल। केरल में पिछले दिनों निपाह वायरस से हुई बीमारी और इसके कारण मृत्यु की घटनाओं को देखते हुए मध्यप्रदेश में लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने एडवाइजरी जारी की है। राज्य शासन ने निपाह वायरस बीमारी की रोकथाम और उपचार के लिये भारत शासन की गाईड लाइन प्रदेश के सभी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों और सिविल सर्जनों को भेज दी है।

निपाह वायरस सामान्यत: बड़ी चमगादड़ और सुअर के माध्यम से मनुष्यों में फैलने वाला संक्रामक रोग है। निपाह के सामान्य लक्षणों में बुखार, सिरदर्द, शरीर दर्द, खाँसी, साँस लेने में तकलीफ, उल्टी, दस्त, बेहोशी, सुस्ती आना आदि शामिल हैं। प्रदेशवासियों को आगाह किया गया है कि केरल से आने वाले लोगों के इलाकों और बड़ी चमगादड़ की मौजूदगी वाले क्षेत्रों में निपाह के लक्षण पाये जाने पर तत्काल निकट के शासकीय अस्पताल में स्वास्थ्य परीक्षण करवायें।

संचालक, स्वास्थ्य सेवाएँ डॉ. बी.एन. चौहान ने बताया कि सामान्य रूप से यह बीमारी सीमित क्षेत्र में होती है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि इससे घबरायें नहीं। इस बीमारी से बचाव के लिये आवश्यक सावधानियाँ बरतें। बड़ी चमगादड़ों (Large fruit Bat) द्वारा खाये हुए फलों और ताड़ी आदि का सेवन न करें। ऐसे स्थानों पर जाने से बचें, जहाँ बड़ी चमगादड़ की मौजूदगी है। निपाह के संद्धिग्ध मरीज से दूरी बनायें।

कड़कनाथ सहकारी समितियों के लिये 1972 लाख मंजूर

भोपाल। सहकारिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), श्री विश्वास सारंग ने बताया कि धार, झाबुआ, अलीराजपुर और बड़वानी जिले की 100 कड़कनाथ सहकारी समितियों के लिए 19 करोड़ 72 लाख रूपये की राशि मंजूर कर दी गई है। इस राशि में से झाबुआ जिले की 30 सहकारी समितियों को 6 करोड़ 35 लाख 20 हजार, बड़वानी जिले की 30 सहकारी समितियों को 4 करोड़ 85 लाख 20 हजार, अलीराजपुर जिले की 30 सहकारी समितियों को 6 करोड़ 35 लाख 20 हजार और धार जिले की 10 सहकारी समितियों को 2 करोड़ 16 लाख 40 हजार रूपये मंजूरी दी गई है

सहकारिता विभाग द्वारा सहकारिता से अंत्योदय योजना के क्षेत्र में स्थानीय संसाधनों के आधार पर सहकारी समितियों के माध्यम से रोजगार सृजन और लोगों को रोजगार मुहैया कराने के नवचार के अंतर्गत झाबुआ और झाबुआ के आस–पास के जिलों में कड़कनाथ सहकारी समितियों का गठन किया जा रहा है। औषधीय और चिकित्सीय गुणों के कारण झाबुआ और अलीराजपुर क्षेत्र में पाया जाने वाला 'कड़कनाथ मुर्गा' दुनिया में मशहूर है। काले रंग के कड़कनाथ का शरीर ही नही, खून भी काला होता है। यह दुर्लभ प्रजाति का मुर्गा है। कड़कनाथ मुर्गा की इस दुर्लभ प्रजाति के संरक्षण और संवर्धन के लिये कड़कनाथ सहकारी समितियों का गठन करवाया गया है। सहकारी समितियों के गठन की प्रक्रिया अभी भी जारी है। कड़कनाथ सहाकरी समितियों को हैचरी की स्थापना, शेड निर्माण, टीकाकरण, चूजों की उपलब्धता, कड़कनाथ मुर्गों की मार्केटिंग आदि के लिए जरूरी राशि की व्यवस्था के रूप में 1972 लाख रूपये की मंजूरी दी गई है। इससें सहकारी समितियो से जुडे अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के हजारों परिवार व्यवसाय से जुडेंगे।

गांव की बेटी योजना : छह वर्ष में 2.80 लाख बेटियाँ लाभान्वित

भोपाल। गाँव की बेटी योजना में पिछले 6 वर्षों में 2 लाख 80 हजार से अधिक बालिकाओं को लाभान्वित किया गया है। योजना के लिये इस वर्ष 2018–19 के लिये 37 करोड़ 73 लाख का बजट प्रावधान किया गया है। पिछले वित्तीय वर्ष में लगभग 62 हजार बालिकाओं को इसका लाभ मिला। वर्ष 2012–13 से वर्ष 2016–17 तक 2 लाख 18 हजार 648 बालिकाओं को इस योजना से लाभांवित किया गया है।

ग्रामीण क्षेत्र की बालिकाओं को उच्च शिक्षा के लिये प्रोत्साहित करने के लिये गाँव की बेटी योजना लागू की गई है। इस योजना में ग्रामीण क्षेत्र में रहकर गाँव की पाठशाला से 12वीं कक्षा प्रथम श्रेणी में न्यूनतम 60 प्रतिशत पर उत्तीर्ण करने वाली छात्राओं को छात्रवृत्ति दिये जाने का प्रावधान है। इस छात्रवृत्ति में सामान्य पाठ्यक्रम के लिये 5000 और चिकित्सा तथा तकनीकी शिक्षा में अध्ययनरत छात्राओं को 7500 रुपये प्रति वर्ष दिये जाते हैं।

पंजीकृत किसानों को एसएमएस से मिलेगी मण्डी आने की तारीख की सूचना

राज्य शासन ने सभी जिला कलेक्टरों को दिये विस्तृत दिशा–निर्देश

भोपाल। राज्य शासन ने मंडियों में अत्याधिक उपार्जित स्कंध जमा होने के कारण जिला कलेक्टरों को निर्देश दिये हैं कि पंजीकृत किसानों को सीमित संख्या में एसएमएस के माध्यम से मण्डी में उपज बेचने के लिये बुलाया जाये। इससे स्टॉक के परिवहन की गति बढ़ेगी और किसानों को गर्मी के मौसम में मंडी में ट्रेक्टर–ट्राली की लम्बी लाइन की परेशानियों से राहत भी मिलेगी।

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग के प्रमुख सचिव डॉ. राजेश राजौरा ने जिला कलेक्टरों को परिपत्र जारी कर कहा है कि प्रदेश में चना, सरसों एवं मसूर की उपार्जन अवधि विगत 10 अप्रैल से आगामी 9 जून तक निर्धारित है। इन दिनों मंडी प्रांगणों में इन फसलों की व्यापक आवक हो रही है। इस कारण सहकारी समिति को किसानों की उपज की खरीदी और तौल में दो से तीन दिन तक का समय लग रहा है। इस भीषण गर्मी में किसानों को ट्रेक्टर–ट्रॉली के साथ मंडियों के बाहर लम्बी लाईन में खड़ा रहना पड़ता है। इस स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए पंजीकृत किसानों के लिये एसएमएस की व्यवस्था उपलब्ध करवाई जा रही है।

जिला कलेक्टरों से कहा गया है कि मंडी प्रांगण में स्थान की उपलब्धता सहकारी समिति की दैनिक उपार्जन क्षमता एवं उपार्जित उपज के स्टॉक के परिवहन की गति आदि का आकलन करने के बाद ही एसएमएस की संख्या तय की जाये। पंजीकृत किसानों से सहकारी समिति द्वारा उपज की खरीदी और तौल यथासंभव उसी दिन पूरी की जाये, जिस दिन किसान को उपज बेचने के लिये बुलाया गया हो।

राज्य शासन ने निर्देश दिये हैं कि जिन मंडियों में उपज रखने के लिये पर्याप्त स्थान नहीं है, उनमें से कुछ सहकारी समितियों को मंडी प्रांगण के बाहर अन्य उपयुक्त स्थान पर स्थानान्तरित किया जाये। साथ ही सहकारी समितियों के पास पर्याप्त संसाधन उपलब्ध नहीं होने पर उन्हे मंडियों द्वारा यथासंभव सहयोग प्रदान किया जाये।

प्रतिस्पर्धा के युग में दूसरों से बेहतर साबित करना होगा : श्री भार्गव

भोपाल। अपेक्स बैंक मुख्यालय के सभागार में मध्यप्रदेश के समस्त संभागीय/अमानत शाखा प्रबंधकों की बैठक में बैंक के प्रशासक श्री रमाकांत भार्गव ने सम्बोधित करते हुए कहा कि आज बैंकिंग क्षेत्र में काफी बदलाव आये हैं, उनका सामना करने के लिये हमारे शाखा प्रबंधकों को अपने स्टाफ एवं ग्राहकों के साथ बेहतर संबंध बनाये रखकर अपने कुशल आचरण एवं व्यवहार से बैंक की प्रगति के लिये कर्मठ एवं कुशल प्रयास करने की आवश्यकता है क्योंकि हमारा सामना सीधे तौर पर राष्ट्रीयकृत एवं प्रायवेट क्षेत्र में बड़ा नेटवर्क रखने वाली कार्यरत उन बैंकों से है, जो अपनी कुशल सेवा–प्रणाली से व्यवसाय कर रही हैं।

उन्होंने यह भी आश्वस्त किया कि आप लोग काम करने से बिलकुल ना डरें, निर्भीक होकर अपने कर्तव्यों का पालन कीजिये, काम करते हुए अनजाने में यदि कोई गलती होगी तो उसके लिये बैंक प्रबंधन की ओर से आपको कोई दण्ड नहीं दिया जावेगा, लेकिन यदि किसी ने जानबूझकर कोई गलती की है, तब अवश्य ऐसे अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध आवश्यक प्रशासनिक कार्यवाही की जावेगी।

बैंक के प्रबंध संचालक श्री आर.के. शर्मा ने कहा कि शाखा प्रबंधक पाक्षिक जानकारी अपने हस्ताक्षर से ही हमें भेजे ताकि शाखा की हफ्ते भर की पूरी कार्यवाही आपकी जानकारी में आ जाये। इसके साथ ही हमे अपने कुशल आचरण व्यवहार से कार्य सम्पादित करते हुए नियमानुसार अधिक मात्रा में ऋण बांटकर एवं वितरित ऋणों की वसूली में निर्धारित समय–सीमा करने पर जोर देना होगा, ताकि बैंक आर्थिक रूप से सुदृढ़ होगी और इसका सीधा प्रभाव बैंक की लाभार्जन क्षमता पर भी पड़े। उन्होंने बैंक के अन्य सभी कार्यो में भी स्वयं एवं अपने स्टॉफ के माध्यम से जून में अपने ऋण वितरण एवं वसूली के लक्ष्य निर्धारित कर उनकों समय सीमा में पूर्ण करने हेतु निर्देशित किया।

बैंकिंग के परिचालन के विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी श्री महेन्द्र दीक्षित ने बैठक में सभी आवश्यक बिन्दुओं पर विस्तार से प्रकाश डाला। बैठक में विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (प्रशासन/जनसंपर्क) श्री यतीश त्रिपाठी, सहायक महाप्रबंधक सर्वश्री पी.के. एस. राठौर, डॉ. रवि ठक्कर, एम. एस. गिन्नारे, आर.एस. चंदेल, एच. एस.तोमर उमेश राहंगडाले, के.टी. सज्जन सहित बैंक के अनेक वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

प्रदेशवासियों की जिंदगी को खुशहाल बनाना ही जीवन का उद्देश्य : श्री चौहान

ग्राम माथनी, भड़कुल, बोरदी और बोरी में विकास यात्रा एवं जनसंवाद में मुख्यमंत्री

भोपाल। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने सीहोर जिले में बुदनी विकासखण्ड के ग्राम माथनी, भड़कुल, बोरदी और बोरी में विकास यात्रा करते हुए जन–संवाद के जरिये ग्रामीणों से सीधी बातचीत कर उन्हें शासकीय योजनाओं/कार्यक्रमों की जानकारी दी। श्री चौहान ने कहा कि प्रदेशवासियों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाकर उनके जीवन को खुशहाल बनाना ही मेरे जीवन का लक्ष्य है। इसके लिये दिन–रात चिंतन करता हूँ। नित नई जन–कल्याणकारी योजनाएँ बनाकर उनका सफल क्रियान्वयन सुनिश्चित करता हूँ। जन–संवाद के दौरान मुख्यमंत्री ने ग्रामीण अंचल में विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों को हित–लाभ वितरित भी किये।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि बेटियाँ खुश रहेंगी, तो प्रदेश खुश रहेगा। महिला सशक्तिकरण के प्रयास निरन्तर जारी हैं। स्व–सहायता समूहों के माध्यम से महिलाओं की आर्थिक स्थिति में अप्रत्याशित सुधार होगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश मे सर्वजन हिताय–सर्वजन सुखाय के उद्देश्य से कार्य किये जा रहे हैं। श्री चौहान ने कहा कि सम्पूर्ण बुधनी विधानसभा क्षेत्र में नर्मदा जल हर घर में पहुँचाया गया है। अब हर खेत को सिंचित करेंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश मे सभी पात्र लोगों को रहने की जमीन का पट्टा देकर उनके लिये पक्का मकान बनाया जाएगा। इस दौरान जिले के प्रभारी मंत्री श्री रामपाल सिंह, वन विकास निगम के अध्यक्ष श्री गुरू प्रसाद शर्मा, वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन के अध्यक्ष श्री राजेन्द्र सिंह राजपूत, अपेक्स बैंक के प्रशासक श्री रमाकांत भार्गव, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती उर्मिला मरेठा, अन्य जन–प्रतिनिधि तथा बडी संख्या मे ग्रामीण उपस्थित रहे।

राष्ट्रपति ने दी मध्यप्रदेश भूमि स्वामी एवं बटाईदार के हितों का संरक्षण अधिनियम को मंजूरी

भोपाल। प्रदेश सरकार द्वारा कृषि भूमि का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने तथा बटाईदार एवं भूमि–स्वामी के अधिकारों एवं हितों के संरक्षण के लिए मध्यप्रदेश भूमि स्वामी एवं बटाईदार के हितों का संरक्षण अधिनियम–2016 बनाया गया है। अधिनियम पर राष्ट्रपति की अनुमति मिलने के बाद 9 मई 2018 से यह पूरे प्रदेश में प्रभावशील हो गया है।

इस अधिनियम के लागू होने से भूमि–स्वामी निश्चिंत होकर जमीन बटाई पर दे सकेगा। इससे जमीन पड़त में नहीं पड़ी रहेगी। कृषि भूमि का अधिकतम उपयोग हो सकेगा। इससे कृषि उत्पादकता बढ़ेगी। प्राकृतिक आपदा आने पर राहत भी मिल सकेगी।

अनुबंध अधिकतम 5 वर्ष के लिए

भू–स्वामी एवं बटाईदार के मध्य अनुबंध निर्धारित प्रारूप में सादे कागज पर तीन प्रति में होगा। एक–एक प्रति दोनों पक्षकारों को और एक प्रति तहसीलदार को दी जायेगी। अनुबंध अधिकतम 5 वर्ष के लिए होगा। पक्षकार अनुबंध का नवीनीकरण कर सकेंगे। आदिम जनजाति वर्ग का भूमि–स्वामी अधिसूचित क्षेत्र में स्थित अपनी कृषि भूमि केवल अधिसूचित क्षेत्र के आदिम जनजाति के सदस्य को ही बटाई पर दे सकेगा। बटाईदार को कृषि कार्य, सुधार और कृषि से संबंधित कार्य करने का अधिकार होगा। अनुबंध की अवधि समाप्त होते ही भूमि पर स्वमेव भूमि–स्वामी का कब्जा हो जायेगा। इसमें किसी आदेश की जरूरत नहीं होगी।

प्राकृतिक आपदा में दोनों पक्षकार को मिलेगी सहायता

प्राकृतिक आपदा या अन्य किसी कारण से फसल हानि पर मिलने वाली सहायता तथा बीमा कंपनी से मिलने वाली दावा राशि अनुबंध के आधार पर भूमि–स्वामी और बटाईदार के बीच बँटेगी। बटाईदार की मृत्यु पर अनुबंध में उल्लेखित अधिकार उसके विधिक उत्तराधिकारी को मिलेंगे।

60 दिवस में होगा विवाद का निराकरण

विवाद की स्थिति में तहसीलदार जाँच कर मामले का निराकरण करेगा। मामले का निराकरण 60 दिवस में करना होगा। विलंब पर 100 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से अधिकतम 5 हजार रुपये तक का अर्थदण्ड लगाने का प्रावधान है।

अनुबंध तोड़ने पर लगेगा जुर्माना

तहसीलदार अनुबंध तोड़ने वाले पर 10 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से जुर्माना लगा सकेगा। बटाईदार द्वारा अनुबंध की समाप्ति के बाद कब्जा नहीं छोड़ने पर उसे 10 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर जुर्माने के साथ ही तीन माह तक की जेल से भी दण्डित किया जा सकेगा।

ग्राम पंचायतों ने ऑनलाइन भुगतान किये 9970 करोड़

भोपाल। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री गोपाल भार्गव ने बताया है कि प्रदेश की ग्राम पचायतों में भी कैशलेस व्यवस्था लागू कर दी गई है। ग्राम पंचायतों द्वारा सभी प्रकार का भुगतान ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से किया जाता है। श्री भार्गव ने बताया कि अब तक 22 हजार 816 ग्राम पंचायतों द्वारा विभिन्न मदों में पोर्टल के माध्यम से 9 हजार 970 करोड़ रूपये का भुगतान किया गया है।

श्री भार्गव ने बताया कि मध्यप्रदेश में ई–पंचायत की अवधारणा काफी समय पहले से लागू है। पंचायतों में लेखा कार्य में शुद्धता और पारदर्शिता बनाये रखने के लिए ऑनलाइन वेब–पोर्टल "पंचायत दर्पण" एन.आई.सी के माध्यम से संचालित है। इससे काम में गति आई है और वेंडर्स को समय पर भुगतान मिल रहा है।

मुख्यमंत्री श्री चौहान से नाबार्ड के मुख्य महाप्रबंधक की सौजन्य भेंट

भोपाल। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान से नाबार्ड के मुख्य महाप्रबंधक श्री एस.के बंसल ने मंत्रालय में सौजन्य भेंट की। श्री बंसल ने मुख्यमंत्री को पुष्प–गुच्छ भेंटकर उनका अभिनंदन किया।

मुख्यमंत्री श्री चौहान से नाबार्ड के नव–पदस्थ महाप्रबंधक श्री बंसल ने बैंक की गतिविधियों के संबंध में चर्चा की। श्री बंसल ने मुख्यमंत्री को आगामी कार्यक्रमों और परियोजनाओं की जानकारी दी।

जन-कल्याण योजना से गरीबों के इलाज की निःशुल्क व्यवस्था की जायेगी

मुख्यमंत्री ने 75 हजार तेंदूपत्ता संग्राहकों को बाँटी 6 करोड़ से अधिक बोनस राशि

भोपाल। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मुख्यमंत्री जन–कल्याण योजना में गरीबों के इलाज की नि:शुल्क व्यवस्था की जायेगी। प्रदेश में प्रत्येक गरीब व्यक्ति को रहने के लिये घर मिलेगा और उनके घर में फ्लैट रेट पर बिजली की व्यवस्था की जायेगी। गरीबों के बच्चों का भविष्य बरबाद नहीं होने देंगे। बिना किसी भेदभाव के गरीबों के बच्चों की पहली कक्षा से उच्च शिक्षा तक की फीस राज्य सरकार भरेगी। कौशल उन्नयन मिशन के अंतर्गत अधिक से अधिक लोगों को प्रशिक्षित किया जायेगा। श्री चौहान होशंगाबाद जिले में पिपरिया विकासखण्ड के ग्राम सिलारी में तेंदूपत्ता संग्राहक एवं श्रमिक सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने सम्मेलन में कहा कि गरीबों को उनका हक दिलवाने के लिये राज्य सरकार कृत–संकल्पित होकर कार्य कर रही है। गरीबों के सर्वांगीण विकास के लिये ही प्रदेश में मुख्यमंत्री जन–कल्याण योजना प्रारंभ की गई है। इस योजना में गरीब परिवार के प्रत्येक व्यक्ति के हितों का ध्यान रखा गया है।

मुख्यमंत्री ने तेंदूपत्ता संग्राहक कुब्जा बाई को पहनाई चरण–पादुका

तेंदूपत्ता संग्राहक एवं श्रमिक सम्मेलन में मुख्यमंत्री श्री चौहान ने महिला संग्राहक कुब्जा बाई को अपने हाथों से चरण–पादुका पहनाई, साड़ी और पानी की बोतल सौंपी तथा 11 हजार 116 रुपये की बोनस राशि का चेक दिया।

मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर होशंगाबाद और नरसिंहपुर जिले के लगभग 75 हजार तेंदूपत्ता संग्राहकों को 6 करोड़ 18 लाख रुपये बोनस राशि का वितरण किया। साथ ही, इन जिलों के पंजीकृत असंगठित श्रमिकों को पंजीयन प्रमाण–पत्र प्रदान किये। श्री चौहान ने सम्मेलन में 27 करोड़ 92 लाख रुपये लागत की नर्मदा पेयजल आवर्धन योजना का लोकार्पण किया तथा मुख्यमंत्री अधोसंरचना विकास के 3 करोड़ 34 लाख रुपये लागत के कार्यों का भूमि–पूजन किया।

जनपद–स्तर पर 13 जून को मुख्यमंत्री जन–कल्याण योजना कार्यक्रम

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि 13 जून को प्रदेश में जनपद–स्तर पर मुख्यमंत्री जन–कल्याण योजना कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे। इस कार्यक्रम में विगत एक अप्रैल से 30 मई तक योजना में पंजीकृत असंगठित श्रमिकों को विभिन्न योजनाओं के हित–लाभ वितरित किये जायेंगे। श्री चौहान ने बताया कि मुख्यमंत्री जन–कल्याण योजना की मॉनीटरिंग पंचायत तथा वार्ड–स्तर पर की जायेगी। इसके लिये प्रत्येक पंचायत और वार्ड में 5–5 सदस्यों की टीम बनाई जायेगी।

मुख्यमंत्री ने बताया कि 10 जून को मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना में पंजीकृत गेहूँ उत्पादक किसानों के खातों में 265 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से प्रोत्साहन राशि ट्रांसफर की जायेगी। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही, चना, सरसों एवं मसूर के लिये किसानों के खातों में 100 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से प्रोत्साहन राशि प्रदान की जायेगी। मुख्यमंत्री ने सम्मेलन में उपस्थित विशाल जन–समुदाय को राज्य सरकार की विभिन्न जन–कल्याणकारी योजनाओं की विस्तार से जानकारी दी।

सम्मेलन में म.प्र. विधानसभा अध्यक्ष डॉ. सीतासरन शर्मा, नरसिंहपुर जिले के प्रभारी मंत्री श्री रामपाल सिंह, होशंगाबाद जिले के प्रभारी मंत्री श्री जालम सिंह पटेल, जिला पंचायत होशंगाबाद के अध्यक्ष श्री कुशल पटेल और नरसिंहपुर जिला पंचायत के अध्यक्ष श्री संदीप पटेल, सांसद श्री कैलाश सोनी, विधायक सर्वश्री सरताज सिंह, विजयपाल सिंह, गोविंद सिंह पटेल, संजय शर्मा, कैलाश जाटव, म.प्र. लघु वनोपज संघ के अध्यक्ष श्री महेश कोरी, ग्राम पंचायतों के सरपंच, अंत्योदय समितियों के सदस्य, अन्य जन–प्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में तेंदूपत्ता संग्राहक एवं असंगठित क्षेत्रों के श्रमिक उपस्थित थे।

338 ग्रामों के आर्थिक क्लस्टर तैयार किये जायेंगे

ग्रामीण विकास मंत्री श्री भार्गव

भोपाल। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री गोपाल भार्गव ने कहा है कि ग्रामीण जन–जीवन के मूल स्वरूप को बनाये रखते हुए गाँव के क्लस्टर को रुर्बन गाँव के रूप में विकसित किया जायेगा। श्यामाचरण मुखर्जी रुरबन मिशन के नाम से संचालित इस योजना से प्रदेश के 16 जिलों की 338 ग्राम पंचायतों को 19 क्लस्टरों के रूप में विकसित किया जायेगा। प्रथम फेज में 7 क्लस्टर में 161 ग्रामों में 60 करोड़ रुपये के कार्य कराये जायेंगे। इसकी स्वीकृति जारी कर दी गई है।

मंत्री श्री भार्गव ने बताया कि यह भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। इसमें एक ही भौगोलिक परिस्थिति में बसे ग्रामों में शहरी मानी जाने वाली सुविधाओं का विस्तार करना है। इन ग्रामों में स्थानीय आर्थिक विकास को प्रोत्साहन देना है, ताकि ग्रामीण गरीबी और बेरोजगारी का मुस्तैदी से सामना कर सकें। देश में 300 संकुल का चयन किया गया है। मध्यप्रदेश में 19 संकुल बनाये गये हैं, जिन्हें 3 फेज में विकसित किया जायेगा। इसमें 11 जनजातीय ओर 8 गैर–जनजातीय संकुल हैं।

पी.जी.डी.सी.ए. मात्र 9100/-
डी.सी.ए. मात्र 8100/-
न्यूनतम योग्यता पी.जी.डी.सी.ए.
स्नातक एवं डी.सी.ए.-बारहवीं (10+2)
मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ द्वारा संचालित
सहकारी कम्प्यूटर एवं प्रबंध
प्रशिक्षण केन्द्र, भोपाल
(माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय भोपाल से सम्बद्ध)
ई–8/77 शाहपुरा, त्रिलंगा, भोपाल (म.प्र.) पिनकोड–462 039
फोन.–0755 2725518, 2726160 फेक्स–0755 2726160
Email: rajyasanghbpl@yahoo.co.in,ccmtcbpl@rediffmail.com

प्रदेश में 10 लाख मैट्रिक टन से अधिक दलहन की खरीदी

किसानों को भुगतान हुआ 3000 करोड़

भोपाल। मध्यप्रदेश में चना, मसूर और सरसों की समर्थन मूल्य पर खरीदी का कार्य विगत10 अप्रैल से 593 उपार्जन केन्द्रों पर चल रहा है। अब तक किसानों से 10 लाख 14 हजार मैट्रिक टन दलहन की खरीदी की जा चुकी है। खरीदे गये चना, मसूर और सरसों का मूल्य 4 हजार 402 करोड़ रुपये है। किसानों को अब तक 3 हजार करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है।

प्रदेश में दलहन फसलों को समर्थन मूल्य पर बेचने के लिये करीब 15 लाख किसानों ने अपना पंजीयन करवाया था। प्रदेश में चना 4400 रुपये प्रति क्विंटल, मसूर 4225 रुपये प्रति क्विंटल और सरसों 4 हजार रुपये प्रति क्विंटल की दर पर खरीदा जा रहा है। अब तक 8.53 लाख मैट्रिक टन चना, 60 हजार मैट्रिक टन सरसों और एक लाख एक हजार मैट्रिक टन मसूर की खरीदी की जा चुकी है।

देश के इतिहास में किसी भी राज्य में दलहन की समर्थन मूल्य पर सबसे बड़ी खरीदी मध्यप्रदेश में हुई है। समर्थन मूल्य पर दलहन खरीदी का कार्य 9 जून तक चलेगा। खरीदी केन्द्रों पर किसानों के लिये पर्याप्त व्यवस्था की गई है।

प्रदेश के प्रत्येक गरीब व्यक्ति को दिया जाएगा पट्टा : श्री चौहान

मुख्यमंत्री ने ई–पेमेंट से तेन्दूपत्ता संग्राहकों को दिये बोनस राशि के 3 करोड़

भोपाल। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में पैदा होने वाले प्रत्येक गरीब व्यक्ति को जमीन के हिस्से का मालिक बनाया जाएगा। सभी गरीबों को जमीन के पट्टे दिये जाएंगे। उन्होंने कहा कि आवश्यकता पड़ने पर गरीब परिवारों को जमीन खरीदकर भी दी जाएगी। इसके लिए राज्य सरकार ने कानून बना दिया है। श्री चौहान शिवपुरी जिले के तहसील मुख्यालय पोहरी में असंगठित श्रमिक एवं तेंदूपत्ता संग्राहक सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने इस मौके पर पोहरी को नगर पंचायत बनाए जाने और पोहरी नलजल योजना स्वीकृत करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकूला मध्यम सिंचाई योजना स्वीकृत कर दी गई है और वरकेश्वर परियोजना का तकनीकी परीक्षण कराया जाएगा।

तेन्दूपत्ता संग्राहकों को 3 करोड़ 4 लाख 33 हजार बोनस राशि का वितरण

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने सम्मेलन में शिवपुरी और श्योपुर जिले के तेन्दूपत्ता संग्राहकों को ई–पेमेंट के माध्यम से 3 करोड़ 4 लाख 33 हजार रुपये बोनस राशि का वितरण किया। श्री चौहान ने 21 हजार 317 तेंदूपत्ता संग्राहकों को पानी की बोतल एवं चरण पादुकाएं प्रदाय कीं। मुख्यमंत्री ने प्रतिकात्मक स्वरूप महिला तेन्दूपत्ता संग्राहकों को चरण पादुकाएं पहनाईं। उन्होंने ने इस अवसर पर विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों को हित–लाभ भी वितरित किये।

असंगठित श्रमिकों को जनपद स्तर पर दिये जाएंगे हित–लाभ

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि राज्य सरकार गरीबों के कल्याण एवं विकास के कार्यों में पैसों की कमी नहीं आने देगी। उन्होंने विभिन्न योजनाओं की विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि आगामी 13 जून को प्रदेश की जनपद पंचायतों में पंजीकृत असंगठित श्रमिकों को विभिन्न योजनाओं के हित–लाभ प्रदान करने के लिये कार्यक्रम आयोजित किये जाएंगे। श्री चौहान ने मुख्यमंत्री जन–कल्याण योजना के बारे में विस्तार से जानकारी दी। केंद्रीय ग्रामीण विकास, पंचायती राज एवं खान मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने इस अवसर पर कहा कि मध्यप्रदेश में पिछले 15 वर्षों में विकास के कार्य तेजी से हुए हैं। उन्होंने कहा कि गरीब, किसान एवं श्रमिक वर्ग के कल्याण एवं विकास के लिये केन्द्र सरकार मध्यप्रदेश सरकार के साथ खड़ी है।

सम्मेलन में शिवपुरी जिले के प्रभारी मंत्री श्री रूस्तम सिंह, श्योपुर जिले के प्रभारी मंत्री श्री नारायण सिंह कुशवाह, मुरैना श्योपुर संसदीय क्षेत्र के सांसद श्री अनूप मिश्रा, विधायकगण और अन्य जन–प्रतिनिधि उपस्थित थे।

जैव विविधता समिति पिथौराबाद को मिला राष्ट्रीय अवार्ड

समिति करती है 125 प्रकार की देशी धानों का संरक्षण

भोपाल। सतना जिले की जैव विविधता प्रबंधन समिति को राष्ट्रीय जैव विविधता पुरस्कार से नवाजा गया है। तेलांगाना के राज्यपाल श्री ई. नरसिंहम्न ने यह अवार्ड अन्तर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस पर हैदराबाद के प्रो. जयशंकर कृषि विश्वविद्यालय में आयोजित समारोह में दिया। समिति की ओर से यह पुरस्कार अध्यक्ष श्री बाबूलाल दाहिया ने ग्रहण किया। इस अवसर पर तेलांगाना के वन मंत्री, राज्य जैव विविधता बोर्ड के अध्यक्ष और देश के जैव विविधिता विशेषज्ञ भी उपस्थित थे।

सामुदायिक बीज बैंक की स्थापना : उचेंहरा जनपद में स्थित पिथौराबाद समिति पिछले 7 सालों से मध्यप्रेदश राज्य जैव विविधता बोर्ड के मार्गदर्शन में तकरीबन 125 प्रकार की परम्परागत देशी धान प्रजाति का संरक्षण कर रही है। समिति द्वारा हर साल छोटे–छोटे भू–खंडों पर धान की तमाम परम्परागत प्रजातियों को उगाया जाता था। बोर्ड ने इसे आसान बनाते हुए यहाँ वैज्ञानिक तरीके से बीज बैंक की स्थापना करवाई। बीज बैंक में अब धान, गेहूँ, चना, मसूर, मक्का, कोदो, कुटकी, सांवा और अनेक देशी सब्जियों के बीज संरक्षित हैं। फसल आने पर किसान द्वारा एक के बदले सवा गुना वापिस करता है जिससे हर साल बीज बैंक में नया बीज बना रहता है।

परम्परागत देशी अनाजों को बाजार से जोड़ने की पहल : समिति ने परम्परागत देशी अनाजों की खेती संरक्षण और उनकी चुनी हुई किस्मों भी की है। किसान बैंक से देशी अनाजों का बीज लेकर खेतों में उगाते हैं। उनके द्वारा उत्पादित गेहूँ, धान, तिल, मक्का, ज्वार आदि अनाजों को दिल्ली, हैदराबाद, चेन्नई, झारखंड और बेंगलोर के बाजारों में ऊँचा मूल्य दिलवाकर बिकवाया जाता है। समिति द्वारा जैव विविधिता पंजी का निर्माण कर ग्राम पंचायत क्षेत्र में पाई जानेवाली सभी जैव विविधता दर्ज की गई है। समिति की रणनीति धान की तीन पारंपरिक किस्मों तिलसान, दिलबक्सा और कमलश्री का व्यापक स्तर पर उत्पादन करना है।

पेड़ पौधे, देशी सब्जियों एवं जड़ी–बूटी संरक्षण : समिति के सदस्य श्री रामलौटन कुशवाहा द्वारा 100 से अधिक पेड़–पौधे, वनस्पति, जड़ी–बूटी और कंदों का संरक्षण किया जा रहा है। इनकी वाटिका में परसमनिया पठार का प्राय: हर पौधा और जड़ी–बूटी संरक्षित है। श्री रामराज कुशवाह के खेत में लगभग 40 देशी सब्जियों के बीज को संरक्षित करने के साथ अन्य किसानों को भी इनका बीज प्रदाय किया जा रहा है। जैव विविधता समिति द्वारा पंजी में ग्राम पंचायत क्षेत्र में पाई जाने वाली सभी तरह की जैव विविधता को दर्ज किया गया है।

हर साल होता है बीज महोत्सव और किसान सम्मेलन : समिति हर साल परम्परागत अनाजों की अहमियत, पर्यावरण संरक्षण जलवायु परिवर्तन और जैवविविधता के महत्व को समझाने के लिये बीज महोत्सव एवं प्रक्षेत्र दिवस और किसान सम्मेलन आयोजित करती है। इनमें किसानों को खेती में ही उत्तम किस्म के बीज का चयन और जैविक खाद, जीवामृत खाद आदि बनाने का प्रशिक्षण दिया जाता है। किसान अपने खेतों के अनुरूप बीज चुन सके। इसके लिये मदद के साथ देशी बीजों की प्रदर्शनी भी लगाई जाती है।

अनाज और जड़ी–बूटी प्रदर्शनी : कृषि विज्ञान केन्द्रों, पूसा संस्थान नई दिल्ली, वन मेला, भोपाल, हैदराबाद, अहमदाबाद, बेंगलोर, चित्रकूट, रीवा आदि स्थानों पर प्रदर्शनी लगाई जा चुकी है।

सदस्य सचिव मध्यप्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड श्री श्रीनिवास मूर्ति ने बताया कि पिथौराबाद समिति से प्रेरणा लेकर बोर्ड ने प्रदेश के 40 जिलों से पारम्परिक किस्मों के बीजों को इकट्ठा करने के लिये "बीज बचाओ–कृषि बचाओ यात्रा" मई 2017 से जुलाई 2017 तक आयोजित की थी।

पंजीकृत पात्र असंगठित मजदूरों को 13 जून से प्रारंभ होगा लाभ वितरण : मुख्यमंत्री

गंजबसौदा में 23106 तेंदूपत्ता संग्राहकों को .2.62 करोड़ रू. बोनस का वितरण

भोपाल। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने गंजबसौदा में कहा कि सरकार द्वारा असंगठित श्रमिकों को समाज मे सम्मान पूर्वक जीवन यापन करने का अधिकार देने के लिये हर संभव प्रयास किये जा रहें हैं। मुख्यमंत्री जन–कल्याण योजना के तहत हर गरीब, हर मजदूर को जमीन का पट्टा दिया जायेगा। वर्ष 2023 तक मध्यप्रदेश में रहने वाले हर गरीब व्यक्ति को सरकार पक्का मकान बनाकर देगी। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार गरीबी दूर करने के संकल्प को जल्द से जल्द पूरा करने की ओर अग्रसर है। असंगठित मजदूरों को 13 जून से लाभ वितरण प्रारंभ कर दिया जाएगा। इस हेतु प्रदेश के हर विकासखण्ड में जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में हितलाभ वितरण कार्यक्रम किए जाएंगे।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने असंगठित मजदूर कल्याण योजना के तहत श्रमिकों को पंजीयन कार्ड, आवास हेतु पट्टों का वितरण तथा तेंदूपत्ता

संग्राहकों को बोनस राशि, चरण पादुका योजना के तहत महिलाओं को चप्पलें, पुरूषो को जूतें, पानी की बोतल एवं सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत अन्य हितग्राहियों को भी लाभ वितरित किये।

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री जन–कल्याण योजना की जानकारी देते हुए कहा कि प्रदेश का हर वह व्यक्ति जो आयकरदाता नहीं है, 2.5 एकड़ से कम भूमि का मालिक है और शासकीय सेवा में नहीं हैं, वह सभी इस योजना के दायरे में आएंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश के हर मजदूर बंधु को आवास हेतु भूमि और उनको पक्का मकान बनाकर दिया जायेगा। उन्होंने कहा कि मजदूर महिलाओं को प्रसूति से पूर्व और पश्चात् कैलोरीयुक्त आहार हेतु आर्थिक सहायता का लाभ दिया जायेगा। उन्होंने कहा कि गरीब बच्चों की कक्षा 1 से कॉलेज तक की पढ़ाई और उच्च शिक्षा संस्थान में भर्ती होने पर उसकी फीस भी सरकार भरेगी। मजदूरों के बच्चों को मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना का लाभ भी मिलेगा।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि गरीब व मजदूर का सरकार निःशुल्क इलाज कराएगी। आयुष्मान भारत योजना, राज्य बीमारी सहायता कोष, मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान मद से गरीब को इलाज हेतु सहायता दी जाएगी। उन्होंने कहा कि गरीबों को 2 सौ रू. माह की दर से फलैट रेट पर बिजली दी जाएगी। स्वसहायता समूहों को दीगर काम धंधों से जोड़ा जाएगा। उन्हें सरकार बैंक लिंकेज देगी, साथ ही इनके कौशल विकास का काम भी किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने गरीबों के हित में सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि किसी गरीब व्यक्ति की 60 साल से कम उम्र में सामान्य मृत्यु होने पर उसके परिवार को 2 लाख रू., दुर्घटना मृत्यु पर 4 लाख रू. और अंतिम संस्कार के लिए 5 हजार रू. दिए जाएंगे।

केन्द्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री श्री थावर चंद गहलोत ने कहा कि देश में दस लाख दिव्यांग जनों को सहायक उपकरण वितरित किये गये है। इस पर लगभग 600 करोड रू. व्यय किये गये है।

गरीबों और मजदूरों के कल्याण तथा विकास पर राज्य सरकार खर्च करेगी 20 करोड़

तेंदूपत्ता संग्राहकों के खातों में ई–पेमेंट से पहुँची 7.40 करोड़ बोनस राशि

भोपाल। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने देवास में आयोजित असंगठित श्रमिक एवं तेंदूपत्ता संग्राहक सम्मेलन में लेपटॉप के माध्यम से देवास जिले को पूर्ण विद्युतीकृत घोषित किया। साथ ही, सीटी बजाकर देवास जिले को खुले में पूर्ण रूप से शौच मुक्त (ओडीएफ) जिला घोषित किया। अब देवास जिला प्रदेश का खुले में शौच मुक्त होने वाला 21वाँ जिला बन गया है।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने सम्मेलन में बताया कि राज्य सरकार द्वारा गरीबों एवं श्रमिकों के कल्याण तथा विकास के लिये लगभग 20 हजार करोड़ रुपये खर्च किये जायेंगे। इस योजना के अंतर्गत 13 जून को प्रदेश की समस्त जनपद पंचायतों में जन–प्रतिनिधियों की मौजूदगी में श्रमिकों को योजनाओं के हित–लाभ वितरित किये जायेंगे। श्री चौहान ने कहा कि गरीबों के कल्याण एवं विकास के कार्यों में राज्य सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी। मुख्यमंत्री जन–कल्याण योजना की विस्तार से जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि योजना का क्रियान्वयन एवं मॉनीटरिंग ग्राम पंचायत–स्तर पर की जायेगी।

श्री चौहान ने इस मौके पर देवास जिले में 510 करोड़ रुपए की लागत के कुल 22 निर्माण एवं विकास कार्यों का लोकार्पण तथा शिलान्यास किया। करीब 34 हजार 555 तेंदूपत्ता संग्राहकों के खातों में ई–पेमेंट के माध्यम से 7 करोड़ 40 लाख रुपए की राशि का वितरण किया। सम्मेलन में 3000 आवासहीन हितग्राहियों को आवासीय पट्टे प्रदान किये।

मुख्यमंत्री ने तेंदूपत्ता संग्राहकों को पहनाईं चरण–पादुकाएँ

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने सम्मेलन में अपने हाथों से महिला तेंदूपत्ता संग्राहकों को चरण–पादुकाएँ पहनाईं, पानी की बोतल और साड़ी भेंट की। मुख्यमंत्री ने जिले को ओडीएफ घोषित होने पर उत्कृष्ट कार्यकर्ताओं को मुख्यमंत्री स्वच्छता सम्मान–पत्र प्रदान किये। इस मौके पर विभिन्न योजनाओं में हितग्राहियों को लाभ वितरित किये गये। मुख्यमंत्री ने "विकास की विरासत" पुस्तक का विमोचन भी किया।

तेंदूपत्ता संग्राहक एवं श्रमिक सम्मेलन में तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री दीपक जोशी, महापौर श्री सुभाष शर्मा, विधायक सर्वश्री चम्पालाल देवड़ा, राजेन्द्र वर्मा, आशीष शर्मा एवं श्रीमती गायत्री राजे पवार, म.प्र. पाठ्यपुस्तक निगम के अध्यक्ष श्री रायसिंह सेंधव, म.प्र. खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के अध्यक्ष श्री सुरेश आर्य, अन्य जन–प्रतिनिधि और बड़ी संख्या में तेंदूपत्ता संग्राहक, असंगठित क्षेत्रों के श्रमिक और ग्रामीणजन उपस्थित थे।

विकास कार्यों के लिए ग्राम पंचायतों को दिए 12 हजार 699 करोड़ रुपये

भोपाल। पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री श्री गोपाल भार्गव ने कहा कि पंच–परमेश्वर योजना के माध्यम से ग्राम पंचायतों को न्यूनतम राशि प्रदान करने की गारंटी देने वाला मध्यप्रदेश पहला प्रदेश है। योजना के जरिये ग्राम पंचायतों में अधोसंरचना विकास के लिए 12 हजार 699 करोड़ रुपये की राशि सभी 22 हजार 816 ग्राम पंचायतों को उपलब्ध करवाई जा चुकी है।

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की पहल पर वर्ष 2012 से प्रदेश में पंच–परमेश्वर योजना प्रारंभ की गई है। इसमें 13वाँ–14वाँ वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग, स्टाम्प ड्यूटी, अनुरक्षण गौण–खनिज, पंचायत भवन निर्माण राशि को एकजाई कर, साल में 2 बार राशि उपलब्ध करवाई जाती है। यह राशि कम से कम 5 लाख रुपये होती है। ग्राम पंचायतों को उपलब्ध करवाई गई राशि से अन्य कार्यों के साथ 18 हजार किलोमीटर सी.सी. रोड का निर्माण करवाया गया है।

पंच–परमेश्वर योजना में वर्ष 2011–12 में एक हजार 402 करोड़ रुपये, वर्ष 2012–13 में एक हजार 407 करोड़, वर्ष 2013–14 में एक हजार 500 करोड़, वर्ष 2014–15 में 800 करोड़, वर्ष 2015–16 में एक हजार 646 करोड़, वर्ष 2016–17 में तीन हजार 601 करोड़ और वर्ष 2017–18 में 2 हजार 341 करोड़ की राशि विकास गतिविधियों के लिए उपलब्ध करवाई जा चुकी है।

किसानों से प्याज खरीदी के लिये 51 मण्डी अधिसूचित घोषित

भोपाल। प्रदेश में किसानों से वर्ष 2018–19 में प्याज खरीदी के लिये 34 जिलों की 51 मण्डी अधिसूचित घोषित की गई हैं। इन मण्डियों में किसानों से भावांतर भुगतान योजना में 16 मई से 30 जून तथा एक अगस्त से 31 अगस्त तक प्याज की खरीदी की जायेगी। अधिसूचित मण्डियों में घोषित अवधि में ई–उपार्जन पोर्टल पर पंजीकृत किसान भावांतर भुगतान योजना का लाभ लेने के लिये मण्डी प्रांगण में घोष नीलामी के अंतर्गत अनुज्ञप्तिधारी व्यापारियों को प्याज विक्रय कर सकेंगे।

राज्य शासन द्वारा किसानों से प्याज खरीदी के लिये घोषित अधिसूचित मण्डियों में भोपाल संभाग में भोपाल, सीहोर, आष्टा, नरसिंहगढ़, जीरापुर, सारंगपुर, बैतूल, हरदा, टिमरनी, इंदौर संभाग में इंदौर, बदनावर, राजगढ़, खण्डवा, उज्जैन संभाग में उज्जैन, नीमच, मनासा, शाजापुर, शुजालपुर, उपमंडी पोलायकलां (अकोदिया), मंदसौर, रतलाम, जावरा, सैलाना, ग्वालियर संभाग में लश्कर, डबरा, दतिया, गुना, शिवपुरी, गोहद, मुरैना, पोरसा, श्योपुर, सागर संभाग में सागर, खुरई, रहली, गढ़ाकोटा, देवरी, राहतगढ़, दमोह, छतरपुर, पन्ना, टीकमगढ़, जबलपुर संभाग में जबलपुर, छिन्दवाड़ा, गाडरवारा, रीवा संभाग में रीवा, सतना, सिंगरौली, अनूपपुर और शहडोल शामिल हैं।

श्री नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री

फेल विद्यार्थी, निराश न हों उनके लिए 9 जून से पुनः परीक्षाएं

'रुक जाना नहीं' योजना

माध्यमिक शिक्षा मंडल, म.प्र. भोपाल से 2018 की परीक्षा में अनुत्तीर्ण विद्यार्थी हेतु

FAIL - First Attempt in Learning - A.P.J. Abdul Kalam

श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री

1. प्रस्तावना :

वर्तमान में विद्यार्थी, परीक्षा परिणाम अपेक्षा अनुसार नहीं आने पर हताश हो जाते हैं। मध्यप्रदेश विधानसभा ने भी इस विषय में चिन्ता व्यक्त की थी और सामान्य जनों से भी इस हेतु सुझाव आमंत्रित किये गये थे। उसी अनुक्रम में **''रुक जाना नहीं''** योजना वर्ष 2016 से प्रारम्भ की गई थी, इससे अब तक लगभग 1,16,000 से अधिक विद्यार्थी उत्तीर्ण होकर लाभांवित हुए। इसकी सफलता को देखते हुए माध्यमिक शिक्षा मंडल, म.प्र. भोपाल से अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों के लिए शासन निर्देशानुसार इसे निरन्तर किया गया है।

2. कौन-कौन विद्यार्थी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं :

माध्यमिक शिक्षा मंडल, म.प्र. भोपाल के वर्ष 2017-18 में कक्षा 10वीं एवं 12वीं में अनुत्तीर्ण एवं अनुपस्थित रहे विद्यार्थी।

ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने वर्ष 2016 की रुक जाना नहीं योजना के अंतर्गत कक्षा 10वीं उत्तीर्ण की है परन्तु वे माध्यमिक शिक्षा मंडल से कक्षा 12वीं की परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो सके हैं, ऐसे विद्यार्थी भी कक्षा 12वीं रुक जाना नहीं योजना जून 2018 में सम्मिलित होकर योजना का लाभ उठा सकते हैं।

3. आवश्यक प्रक्रियाएं :

3.1 योजनांतर्गत पात्र विद्यार्थी 25 मई 2018 तक आवश्यक रूप से एम.पी. ऑनलाइन कियोस्क के माध्यम से अथवा स्वयं, ऑनलाइन निर्धारित शुल्क जमा कर परीक्षा हेतु पंजीयन करवा सकते हैं।

3.2 परीक्षाएं 9 जून 2018 से आयोजित की जाएगी। परीक्षा पूर्व 01 जून से 07 जून 2018 तक विकास खण्ड मुख्यालय के शासकीय उत्कृष्ट उ.मा. विद्यालय पर प्रशिक्षण की व्यवस्था।

3.3 परीक्षा प्रश्न पत्र मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल के पाठ्यक्रम अनुसार ही होंगे तथा केवल अनुत्तीर्ण विषयों की ही परीक्षा देनी होगी। अंकसूची म.प्र. राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड, भोपाल द्वारा जारी की जाएगी, जिसमें पूर्व में उत्तीर्ण विषयों के प्राप्तांक दर्शित होंगे।

3.4 किसी कारणवश परीक्षार्थी माह जून 2018 की परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो पाते हैं वे शेष अनुतीर्ण विषयों की परीक्षा माह दिसम्बर-2018 में दे सकते हैं। इस हेतु उन्हें पुनः अपना पंजीयन एम.पी. ऑनलाइन के माध्यम से करवाना होगा।

3.5 जून 2018 में आयोजित प्रथम चरण की परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले परीक्षार्थी को ही कक्षा 11 में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। द्वितीय चरण में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों को कक्षा 11वीं में नियमित प्रवेश नहीं मिलेगा परन्तु वे वर्ष 2020 के जून माह में 'रुक जाना नहीं योजना' अंतर्गत आयोजित कक्षा 12वीं की परीक्षा में सम्मिलित हो सकेंगे।

4. विश्वसनीयता :

डिजिटाइज्ड मूल्यांकन, परीक्षा समाप्ति के एक माह में परीक्षा परिणाम, ई-माइग्रेशन एवं ई-अंकसूची और जिला स्तर पर मार्गदर्शन हेतु राज्य ओपन स्कूल के संपर्क व्यक्ति के रूप में एक डाटा एन्ट्री ऑपरेटर की व्यवस्था।

नोट : 1. परीक्षा के प्रवेश पत्र **www.mpsos.mponline.gov.in** एवं मोबाइल एप **mpsos** से डाउनलोड कर सकेंगे।
2. प्रवेश पत्र पर परीक्षा की समय सारणी आदि की जानकारी अंकित होगी।
3. किसी भी प्रकार की समस्या समाधान हेतु एम.पी. ऑनलाइन की हेल्पलाइन 0755-4019400 पर संपर्क करें।
4. परीक्षा का पाठ्यक्रम एवं ब्लूप्रिंट म.प्र. माध्यमिक शिक्षा मंडल, भोपाल अनुसार ही होगा।

माध्यमिक शिक्षा मंडल की परीक्षाओं में जो विद्यार्थी किसी कारण से सफल नहीं हो पाये हैं, उन्हें निराश होने की आवश्यकता नहीं है। दुनिया में कई महापुरुष ऐसे हैं, जो प्रारंभ में असफल हुए और बाद में उन्होंने महान कार्य किये। आप भी हिम्मत से आगे बढ़िए और **'रुक जाना नहीं'** योजना का लाभ लेकर परीक्षा में सफलता प्राप्त करें। एक अच्छा भविष्य आप सभी का इंतजार कर रहा है।

डॉ. कुँवर विजय शाह
मंत्री, म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा एवं पदेन अध्यक्ष
म.प्र. राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा परिषद्, भोपाल

D-17002/2018

आकल्पन : मध्यप्रदेश माध्यम/2018

मध्यप्रदेश जनसम्पर्क द्वारा जारी

म.प्र. राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा परिषद्, भोपाल

म.प्र. राज्य सरकारी संघ मर्यादित भोपाल की ओर से प्रकाशक, मुद्रक दिनेशचंद्र शर्मा द्वारा मध्यप्रदेश राज्य सरकारी मुद्रणालय परिसीमित, भोपाल से मुद्रित एवं ई-8/77, शाहपुरा भोपाल से प्रकाशित। प्रबंध सम्पादक : ऋतुराज रंजन, संपादक : दिनेशचंद्र शर्मा
डाक पंजीयन क्रमांक - म.प्र./भोपाल/357/2015-17 मुद्रित पत्र रजि. नं./आर.एन./13063/1967, फोन : 2725518, फैक्स : 0755-2726160 इस अंक में प्रकाशित रचनाओं में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं जिनमें संपादकीय सहमति आवश्यक नहीं है।